

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/51/2009

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1- विजय सिंह }<br>2-बलवीर सिंह }<br>3-शिशुपाल सिंह }<br>4-श्यामवीर सिंह }<br>5-रनवीर सिंह } | पिस0 गुलाबसिंह }<br>पिस0 अतरसिंह } | जाति जाट निवासी अरौदा तहसील नदबई<br>जिला भरतपुर |
|---|------------------------------------|---|

.....प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम भूमि आवाप्ति अधिकारी,( उपखण्ड अधिकारी) नदबई, जिला भरतपुर
- 2-परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (परियोजना इकाई नेशनल हाईवे संख्या 123 ) दौसा जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5), नेशनल हाईवे एक्ट 1956  
खिलाफ अवार्ड तारीख 23.09.08 निल सक्षम प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी) नदबई ।

उपस्थित:-

- 1-श्री राजेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलान्त,
- 2-श्री दीपक शर्मा एनएच

निर्णय

दिनांक 18.6.2019

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2722 /0.14 जिसका क्षेत्रफल 962 वर्गमीटर है में से 111.47 वर्गमीटर ही रूपान्तरण माना है। तथा शेष क्षेत्रफल को कृषि भूमि मानते हुए एवार्ड पारित किया है। जबकि प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 2722 सम्पूर्ण रकवा आवासीय सम्परिवर्तित सक्षम अधिकारी द्वारा 1.06.1992 को कराया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत अधिकारी ने क्षेत्रफल भी 962 वर्गमीटर के स्थान पर 710 वर्गमीटर माना है। जो सम्परिवर्तन आदेश तारीख 1.6.1992 के विपरीत है। योग्य प्राधिकृत अधिकारी ने खण्डाधीन अवार्ड में प्रार्थीगण के बने हुए मकानात के अग्रिम भाग को तोडने का प्रावधान रखते हुए अवाप्त किया तथा पिछले भाग को अवाप्त करने से मुक्त रखा गया। योग्य प्राधिकृत अधिकारी ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि आवासीय सम्परिवर्तन भूमि की प्रचिलत रेट गांव में 1000 रूपये प्रतिवर्ग मीटर से कम नहीं है। बल्कि ज्यादा है। प्राधिकृत अधिकारी ने इसकी रेट 592 रूपये प्रति

प्रार्थना पत्र याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी० की तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किये गये जो शामिल मिसिल किये गये हैं। अप्रार्थी एन.एच. की ओर लिखित बहस भी पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 2722/0.14 में रिकार्डेड खातेदार काश्ताकार है। जिसका क्षेत्रफल 912 वर्गमीटर है में से 111.47 वर्गमीटर ही रूपान्तरण माना है। तथा शेष क्षेत्रफल को कृषि भूमि मानते हुए एवार्ड पारित किया है। जबकि प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 2722 सम्पूर्ण रकवा आवासीय सम्परिवर्तित सक्षम अधिकारी द्वारा 1.6.1992 को कराया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत अधिकारी ने क्षेत्रफल भी 962 वर्गमीटर के स्थान पर 710 वर्गमीटर माना है। जो सम्परिवर्तन आदेश तारीख 1.6.1992 के विपरीत है। आवप्त भूमि बजारु दर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि 1 वर्ष के लिए 12 प्रतिशत स्पेशल मुआवजा प्लस 9 प्रतिशत एक वर्ष की ब्याज 15 प्रतिशत अवाप्ति की एक वर्ष बाद से कुल मुआवजा राशि पर तय अदायगी पर 15 प्रतिशत ब्याज देय है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने से मुआवजा अवार्ड का भुगतान अप्रार्थी हक में जारी कर दिया है। भूमि अवाप्ती अधिकारी ने हमारी आपत्ति को खारिज कर दिया है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अवाप्त शुदा आराजी का मुआवजा वाणिज्यक दर से भुगतान कराये जाने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. का कहना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत जबाब को बहस ट्रीट किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी एस.डी.ओ. ने आराजी खसरा नम्बर 2722/0.14 ग्राम अरौदा जिसका क्षेत्रफल 912 वर्गमीटर है में से 111.47 वर्गमीटर ही रूपान्तरण माना है। किस्म जमीन भूमि नेशनल हाईवे के विस्तार हेतु अवाप्त की गई है। एन.एच.एक्ट की धारा 3जी(7) के निर्देशों की पालना में विधिवत कार्यवाही करते हुये मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी का अवाप्त शुदा भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है। राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी खातेदार दर्ज हैं। मुताविक राजस्व अभिलेख में दर्ज हितबद्ध खातेदारों के हक मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी को अवार्ड को चुनौती देने का कोई अधिकार

नहीं है और नाही किसी प्रकार की अवार्ड राशि प्राप्त करने का हकदार रहता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के स्वामित्व निर्धारण का बिन्दू है, स्वामित्व निर्धारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उनका यह भी तर्क है कि विधि के प्रावधानुसार श्रीमान को मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है। भूमि आवप्त अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अवाप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही 4/6 लेनीकरण के लिए भूमि अत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है। जिसके पश्चात ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 के 45 किमी से 26.730 किमी और 25.980 किमी से 21.5 किमी तक के भूखण्ड के निर्माण यथा चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन, चार लेन का बनाना आदि कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड ए के अन्तर्गत अवाप्त की गई है। उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 8.5.2015 का सार दिनांक 28-6-2015 को राजस्थान पत्रिका और 4-7-2015 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित कराया गया था। इसके उपरान्त 3डी की अधिसूचना दिनांक 16-3-2016 एवं 3 जी की अधिसूचना का प्रकाशन भी राजस्थान राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में कराया गया। इसलिए प्रार्थी का उपरोक्त कथन सारहीन है। प्रार्थी की अवाप्ति भूमि खसरा नं 1290 का हिस्सा 787.202 वर्गफीट का आबादी रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अनुतोश में चाहा गया 12 प्रतिशत ब्याज गुणक 1.25 दर से अदा कर दिया है। धारा 3 जी के अनुसार 100 प्रतिशत राशि भी जोड दी गई है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर एवं मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत जबाब, लिखित बहस का अध्ययन किया गया।

पत्रावली तहत के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्ति प्रार्थना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ,नदबई ) के समक्ष पेश किया गया है। जिसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के भूमि अवाप्ति मुआवजा के संबध में की गई अवाप्तियों पर पीडब्ल्यूडी विभाग नदबई एवं पटवारी हलका से अवाप्तशुदा भूमि के संबध में मौका एवं निर्माण कार्यों की रिपोर्ट एवं मूल्यांकन रिपोर्ट तलब की गई है। तहत पत्रावली आडरशीट दिनांक 12.02.2008 में प्रार्थी की अवाप्तियों का निराकरण किया जा चुका है। जो एईएन पीडब्ल्यूडी हल्का पटवारी रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत सर्वे व मूल्यांकन के आधार पर विधिवत मुआवजा राशि के संबध में आदेश पारित किया हुआ है। जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र याचिका प्रार्थी खारिज योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :-  
उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी (याचिका) खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को सुनाया गया।

( डॉ आरूषि मलिक )  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

